राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मोहनी देवी बनाम मोहनलाल 406/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/03/2026 को पेश हो।	
24/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत ईस्तकरार हक़ एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प मुण्डियागढ़ में नियत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31/05/2018 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता रेस्पो. के बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को सरसरी तौर पर कोई विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार करते हुये ख़ारिज कर दिया गया, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत विवेचन करते हुये निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर प्रकरण के तथ्यों का विवेचन किये बिना ही प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के प्रश्नाधीन वाद को ख़ारिज करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मोहनी देवी बनाम मोहनलाल **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31/05/2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रकियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये वाद का गुणावगुण पर निस्तारण करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 24/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |